न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/14/2020 प्रार्थना पत्र   दायर दिनांक 21.12.2020

उनवान

1. शिवप्रसाद पिता बरदीचन्द जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मु0 मांगीबाई पिता बरदी चन्द जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. कौशल्या पिता बरदी चन्द जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. नन्दकिशोर पिता रूप लाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. ओमप्रकाश पिता रूप लाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. रमेश चन्द्र पिता रूप लाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री कृष्ण चन्द्र तुल्छिया —प्रार्थीगण
एकतरफा —अप्रार्थीगण

—ः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 :—

निर्णय दिनांकः 24.01.2024

—ःनिर्णयः—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की मौजा उमण्ड पटवार हल्का उमण्ड की आराजी संख्या 929 रकबा 0.41 हैक्ट0 स्थित है। उक्त आराजी पर जाने के लिये गांव उमण्ड से हॉस्पीटल की ओर जाने वाले आम रास्ते में से होकर आगे बढने पर इस आम रास्ते के उत्तर तरफ आराजी संख्या 1000 रकबा 0.78 हैक्ट0 स्थित है इस आराजी के पूर्व से पाली पर होकर उत्तर की ओर आगे बढते हुए प्रार्थीगण की आराजी संख्या 929 के दक्षिण पूर्वी कोने से अपनी आराजी में प्रवेश कर जाते है।

यह कि आराजी संख्या 929 पर जाने का कोई पुख्ता रास्ता नहीं है जब आराजी संख्या 929 पर जाने के लिये अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 1000 में कोई फसल नहीं होने पर अप्रार्थीगण की अनुमति लेकर आराजी संख्या 929 में जाना पडता है अप्रार्थीगण कई बार अनुमति नहीं देने पर आराजी संख्या 929 में कोई बुवाई नहीं कर पाते है भरी हुई या खाली बैलगाडी, ट्रेक्टर ट्रोली भी नही ले जा पाते है क्योंकि आराजीयात जैरबहस पर जाने का अन्य कोई भी रास्ता नहीं है।

यह कि आराजीयात जैरबहस 929 रकबा [illegible] हैक्टेयर पर जाने के लिये सबसे नजदीकी रास्ता यही है और उक्त आराजी पर [illegible] का कोई वैकल्पिक [illegible] भी नहीं है इसलिये प्रार्थीगण की आराजी संख्या 929 पर [illegible]ने जाने भरी खाली [illegible]डी लाने ले जाने के लिये व भरी खाली ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने व आराजीयात जैरबहस का

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:19 IST
Reason: SelfAttested

उपयोग उपभोग करने के लिये आराजी संख्या 1000 की पूर्वी पाली पर होते हुए आगे उत्तर की तरफ आराजी संख्या 929 की दक्षिणी पाली तक 14 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है इस हेतु प्रार्थीगण डी0एल0सी0 दर से या श्रीमान् के आदेशानुसार रास्ते की भूमि को क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने को तैयार है।

यह कि अप्रार्थीगण को दिनांक 20.06.2020 को रास्ता देने बाबत कहा लेकिन अप्रार्थीगण ने अपनी आराजी पर किसी प्रकार का रास्ता देने के लिये मना किया इसलिए बिनाय प्रार्थनापत्र कारण दिनांक 20.06.2020 को प्रारम्भ होता है। इसके बाद प्रतिदिन पैदा हो रहा है।

यह कि आराजीयात जैरबहस 929 खातेदारी मु0 मुलीबाई की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस प्रार्थीगण है इसी प्रकार आराजी संख्या 1000 की खातेदारी गीताबाई की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीस अप्रार्थीगण ही है।

यह कि अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 1000 रकबा 0.78 हैक्टर की कम्प्यूटर की चालु जमाबन्दी में अप्रार्थीगण नन्दकिशोर पिता रूपलाल के आराजी नम्बर 2109/1000 रकबा 0.25 हैक्ट0 जो अप्रार्थी नम्बर 1 नन्दकिशोर के नाम पर जमाबन्दी में अंकित है इस आराजी नम्बर 2109/1000 रकबा 0.25 हैक्ट0 जो नक्षे में पूर्व दिशा में स्थित है तथा प्रार्थीगण भी इसी खसरा नम्बर पर रास्ता चाहते है लेकिन नक्षा ट्रेस में उक्त बटा नम्बर का अंकन नही हुआ है इसलिये आराजी नम्बर 1000 में पूर्व तरफ रास्ता कायम किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 929 पर जाने के लिये अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 1000 की पूर्वी पाली पर होकर उत्तर की तरफ आगे बढते हुए आराजीयात 929 की दक्षिणी कोने तक 14 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाकर इसी अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज किया जाकर अलग से नक्षा ट्रेस में कायम कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 16.01.2024 को अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 09.03.2021 से कमिश्नर से मौका रिपोर्ट प्राप्त। वकील प्रार्थी द्वारा मौखिक बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर रास्ता उपलब्ध कराया जावें।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

   प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी मौजा उमण्ड की आ0न0 929 पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी पक्षकार के अन्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे

   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:19 IST
Reason: SelfAttested

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

नहीं।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

अप्रार्थी द्वारा कुंआ जिसका आराजी नम्बर 999 जो दोनो पक्षों की खातेदारी में है। अप्रार्थी उसमें से रास्ता देने पर अडे है। लेकिन कुआ की जमीन में कुंआ किस दिशा में स्थापित है इसका अंकन मानचित्र में नहीं है। सहमति के प्रयास में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण में कोई सहमति नहीं बनी।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

सहमति नहीं बनी। मौके पर कुंआ है तथा 1000 आ0नं0 में से डोली के सहारे पगडडी बनी हुई है। उक्त आराजी में से प्रस्तावित रास्ते हेतु भूमि का क्षेत्रफल लम्बाई 75 मीटर चौडाई 06 मीटर कुल क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा उमण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी न0 929 रकबा 0.41 हैक्ट0 पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 1000 से रास्ता चाह रहे है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः मौजा उमण्ड की आ0 सं0 929 पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—क :— अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1—'ख' कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप—खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप—खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि—

I. यह आवश्यकता आत्यतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

II. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ—साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शित किया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Budalia
Date: 2024.03.08 11:31:19 IST
Reason: SelfAttested

करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।'

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा उमण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 929 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की मौजा उमण्ड की आ.न. 1000 है। जिसका रास्ते का प्रस्तावित रकबा 75 × 6 = 450 वर्ग मीटर है जिसका दिनांक 25.02.2021 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार कुल रकबा 450 वर्गमीटर की डीएलसी दर 614005 × 0.0450 = 27630 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 55260/– रूपये अक्षरे पचपन हजार दौ सौ साठ रूपये राशि जो अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के नाम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भितर–भितर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:19 IST
Reason: SelfAttested